न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या 12/31/2022 रजि0 नं0 2022/50 प्रवेश तिथि 14.06.2022

अपीलार्थी:–

श्री हरिसिंह पुत्र खेमचन्द निवासी ग्राम रोडवाल तहसील नीमराना जिला अलवर।

प्रत्यर्थी:–

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

——:: निर्णय ::——

दिनांक:– 20.07.2022

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना को आवेदन पत्र दिनांक 19.04.2022 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमाराना द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना से जरिये नोटिस कंमाक 411 दिनाक 14.06. 2022 से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 23.06.2022 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना से अपील का बिन्दुवार जवाब प्राप्त नही होने पर पुनः स्मरण पत्र कंमाक 423 दिनाक 23.06.2022 व 495 दिनाक 06.07.2022 को जारी किया गया किन्तु जवाब प्राप्त नही हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना के जवाब के अभाव में अपीलार्थी द्वारा पेश अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
5. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा अपील का बिन्दुवार जवाब अप्राप्त होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। यदि सूचना देयता की श्रेणी में आती है, तो अपेक्षित सूचनाएं 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर, (प्रथम)
अलवर, (राज0)